का॰ज्ञा॰सं॰ 12024/2/92-रा॰भा॰ (ख-2)-4 दिनांक 21.7.1992

विषय:— संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें-वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय एवं संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाए और ''ग'' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और ''ग'' क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरूआत की जाए। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई की जाए एवं सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की समिति द्वारा की गई मंत्रालय द्वारा समीक्षा संबंधी अनुच्छेदों की प्रतियां संबंधित कार्यालयों आदि को तत्काल अग्रेषित की जाएं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के निदेश दिए जाए। ये सिफारिशें मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91- रा.भा. भा. दिनांक 28 जनवरी,1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है।

2. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि वे इस विभाग द्वारा जारी वर्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यथासम्भव प्रयत्न करें। समिति की उक्त सिफरिशों के परिप्रेक्ष्यस में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके । मंत्रालयों/ विभागों आदि से यह भी अनुरोध है कि वे संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्डों में की गई सिफारिशें तथा इस संबंध में जारी निदेशों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई तत्काल एवं समयबद्ध रूप से करें। समिति के प्रतिवेदन के चारों खण्ड जिनमें समिति द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग संबंधी मंत्रालयवार समीक्षा के अनुच्छेद भी हैं, सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा चुके हैं। अत: यह भी अनुरोध है कि वे उन अनुच्छेदों में दिए गए विवरण के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करें। साथ ही निरीक्षण के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा करने की कार्रवाई भी की जाए।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह बेहतर होगा कि मंत्रालय/ विभाग अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की कार्यसूची में इसे एक मद के तौर पर शामिल कर लें और प्रत्येक बैठक में उसकी समीक्षा करें। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में की जानी चाहिए। जो मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय आदि निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे हों, वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों आदि के ध्यान, में ला दें। इस संबंध में जारी निदेशों की प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें।